



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012020-215767
CG-DL-E-28012020-215767

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941

No. 356]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

(आयकर)

का.आ. 388(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा का.आ. 2752(अ) दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित आयकर की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :

अनुसूची में, क्रम सं. 72 के सामने कॉलम (4) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

72			(i) मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग (ii) प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुवाहाटी (iii) प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त, जोरहाट (iv) आयकर आयुक्त(टीडीएस), गुवाहाटी
----	--	--	--

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 5 /2020/फा. सं. 187/02/2020-(आ.क.नि.1)]

गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव